कार्यालय सदस्य सचिव राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी
सामान्य चिकित्सालय, डूंगरपुर (राज0)

-:: सामान्य चिकित्सालय में केन्टीन का ठेका लेने निविदा फार्म ::-

1. निविदादाता का नाम व पुरा पता :- ....
(जिसके आधार पर पत्र व्यवहार किया जा सके) ....

2. ठेके की अवधि :- 01 अप्रेल 2018 से 31 मार्च 2019 तक

3. टेण्डर आमन्त्रित अधिकारी जिसके पक्ष में :- सदस्य सचिव प्रमुख चिकित्सा अधिकारी
टेण्डर फार्म प्रस्तुत किया जाना है :- राजस्थान मेडिकेयर रिलिफ सोसायटी, डूंगरपुर

4. टेण्डर आमन्त्रित सूचना :- आर.एम.आर.एस./2018/2130-32
दिनांक 04.04.2018

5. टेण्डर फार्म की शुल्क राशि :- रुपये 200/- (अक्षरे- दो सौ मात्र)
रसीद संख्या .... दिनांक ....

6. केन्टीन ठेका देने की राशि :- रुपया ....
रुपया 700000/- न्युनतम सरकारी

7. धरोहर राशि 13000/- रुपये :- रसीद सं./ड्राफ्ट सं. .... दिनांक ....
अक्षरे - तेरह हजार रुपये मात्र।

8. जी.एस.टी. नम्बर :- .... (प्रमाण पत्र संलग्न)

संलग्न नियम एवं शर्ते मेरे द्वारा ध्यान पुर्वक पढ ली गई है, मैं पुर्णतः इन्हे स्वीकार करता हूँ।

आवेदक के हस्ताक्षर
नाम व पुर्ण पता ....

Email id – pmo-dun-rj@nic.in
दूरभाष कार्यालय--02964--230203

कार्यालय सदस्य सचिव राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी
सामान्य चिकित्सालय, डूंगरपुर (राज0)

राजकीय सामान्य चिकित्सालय नया हॉस्पीटल भवन डूँगरपुर के परिसर में स्थित केन्टीन ठेके के नियम एवं शर्तें

1. राजकीय सामान्य चिकित्सालय डूँगरपुर में केन्टीन ठेके की अवधि दिनांक 01 अप्रेल 2018 से 31 मार्च 2019 तक होगी।
2. यह ठेका सील बन्द टेण्डर आमंत्रित कर निष्पादित किया जावेगा।
3. धरोहर राशि रुपया 14000/- (अक्षरे- चोदह हजार रुपये मात्र) निविदा फार्म के साथ बैंक ड्रॉफ्ट अथवा नगद जमा करानी होगी। यहा अमानत राशि टेण्डर स्वीकृत होने की तिथि से एक माह के अन्दर लोटाई जावेगी एवं इस राशि पर ब्याज के रुप में कोई अतिरिक्त भुगतान विभाग द्वारा नहीं किया जावेगा।
4. जिस निविदादाता के पक्ष में ठेका स्वीकृत किया जावेगा उसे ठेके की कुल स्वीकृति राशि के 5 प्रतिशत प्रतिभुति राशि एक सप्ताह में नगद या बैंक ड्रॉफ्ट द्वारा जमा करानी होगी तथा सम्पुर्ण ठेके की समाप्ति अर्थात एक वर्ष तक यह राशि सदस्य सचिव राजस्थान मेडिकेयर रिलिफ सोसायटी डूँगरपुर के कार्यालय मे जमा रहेगी। किसी भी कारण से इस प्रतिभुति राशि को ठेके की अवधि समाप्त होने के उपरान्त भी रोकी जा सकेगी। इस राशि को रोके जाने के कारण ठेकेदार को अवगत कराना आवश्यक नहीं होगा।
5. जिस निविदादाता का टेण्डर स्वीकृत किया जावेगा उसे स्वीकृत ठेके की कुल राशि का 12 वां भाग राशि प्रतिमाह अग्रीम रुप से जमा कराना होगा। राशि जमा कराने में असमर्थ होने पर धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।
6. सामान्य चिकित्सालय डूँगरपुर परिसर में केन्टीन भवन निर्मित है केन्टीन की सुरक्षा का समस्त उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा। केन्टीन दिन व रात राउण्ड दी क्लोक खुली रहेगी।
7. केन्टीन में उपयोग हेतु फर्नीचर की व्यवस्था ठेकेदार को स्वयं के खर्च पर करनी होगी। बिजली व पानी की व्यवस्था पुर्ण रुप से उपलब्ध है।
8. केन्टीन के सामान की दरें प्रमुख चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्धारित की गई उसके अनुसार अच्छी क्वालीटी में उपलब्ध कराना होगा :- चाय कट 05 रुपये, दुध कट 08 रु. कॉफी कट 08 रु., चाय फूल 10रु., दुध व काफी फुल 12 रु., कचौरी समोसा आलुवडा 10 रु., पकोडी नमकीन 50 ग्राम 12 रु. व पोहा प्लेट 10 रु. सभी प्रकार के जुस गिलास व नारीयल पानी प्रति 20 रुपये आदि।
9. बिस्कीट, बटर ब्रेड, कोल्ड ड्रींक, आईस क्रिम आदि अन्य सामान अधिकतम खुदरा मुल्य दर या उससे कम पर उपलब्ध कराना होगा।
10. ठेकेदार को अपने स्वयं के खर्चे पर अनुमोदित दरो का विवरण एक बोर्ड पर लिखकर सर्वसाधारण को सुचित करने के लिये दरवाजे पर लटकाना होगा।
11. सामान की क्वालीटी एवं दरों के बारे में प्रमुख चिकित्सा अधिकारी द्वारा गठित कमेटी द्वारा समय-समय पर चैक किया जावेगा। उपयुक्त क्वालीटी में सामग्री नहीं पायी जाने पर आवंटन रद् करने का अधिकार होगा।
12. केन्टीन में अन्य कोई व्यवसाय पान मसाला, बिडी सिगरेट, व नशीले पदार्थ पुर्णतया निषेध रहेगें।

13.ठेकेदार द्वारा किसी अनाधिकृत व्यक्ति या अन्य को ठेका देने का अधिकार नहीं होगा। ऐसी स्थिति में ठेका निरस्त करने का पुर्ण अधिकार सदस्य सचिव का होगा।

14.ठेकेदार अपने कर्मचारी के सद्व्यवहार के लिये स्वयं उत्तरदायी होगा। उचित व्यवहार न करने वाले कर्मचारी को सदस्य सचिव का आदेश मिलने पर कार्य से हटाना होगा।

15.ठेकेदार को किसी दुसरे व्यक्ति को ठेका सबलेट करने का अधिकार नहीं होगा। ठेकेदार का समय-समय पर सदस्य सचिव द्वारा जारी अनुदेशो का पालन करना होगा।

16.ठेकेदार द्वारा शर्तो के विपरीत कार्यवाही करने पर सदस्य सचिव को दो माह तक के लिये अस्थाई तौर पर हटाने का हक होगा। यदि ठेकेदार दोषी पाया जाता है तो इसका ठेका निरस्त करने का अधिकार सदस्य सचिव का होगा। इसकी न्यायालय मे अपील नहीं की जा सकेगी।

17.अस्थाई तौर पर जितने समय के लिये ठेकेदार को हटाया गया है उस अवधि का कोई मुआवजा पाने का अधिकार नहीं होगा।

18.ठेकेदार उक्त शर्तो में से किसी भी शर्त का उलंघन करेगा तो ठेका रद् किया जा सकता हैं एवं प्रतिभुती राशि पुर्ण अथवा आंशिक जमा की जा सकती है।

19.राजस्थान मेडिकेयर रिलिफ सोसायटी अथवा ठेकेदार द्वारा किसी प्रकार की कानुनी कार्यवाही करने की आवश्यकता प्रतित होती है तो उसे मुख्यालय स्थित न्यायालयों में दायर किया जा सकेगा किसी अन्यथा स्थान पर नहीं।

20.ठेकेदार को सदस्य सचिव द्वारा दी गई सभी हिदायतो का पुर्ण पालन करना होगा।

21.केन्टीन भवन का स्वामित्व व मालीकाना हक चिकित्सा विभाग का रहेगा ठेकेदार का नहीं।

22.निविदा स्वीकार/अस्वीकार करने का पुर्ण अधिकार निविदा हेतु गठित समिति एवं अधोहस्ताक्षर कर्ता का होगा।

23.निविदादाताओं द्वारा प्रस्तावित कोई अन्य शर्तें विचारणीय अथवा स्वीकार्य नहीं होगी।

24.स्वीकृत निविदा दाता को 100 रुपये के स्टॉप पर अनुबन्ध पत्र प्रस्तुत करना होगा।

25.केन्टीन ठेका अवधि एक वर्ष की होगी एवं ठेका राशि प्रति तीन माह में (क्वाटरली) जमा करानी होगी। जुन 2018 तक की राशि अप्रेल 2018 में सितम्बर 2018 तक की राशि जुलाई 2018 में दिसम्बर 2018 तक की राशि अक्टुम्बर 2018 में मार्च 2019 तक की राशि जनवरी 2019 में जमा करानी होगी।

सदस्य सचिव
प्रमुख चिकित्सा अधिकारी
राजस्थान मेडिकेयर रिलिफ सोसायटी
सामान्य चिकित्सालय, डूंगरपुर

मैनें उपरोक्त सभी शर्ते ध्यान पुर्वक पढ ली है, में पुर्णतः इन्हे स्वीकार करता हूँ।

हस्ताक्षर निविदादाता
(पुरा नाम व पता व मोबाईल नं.)